हरिभूमि
रायपुर भूमि - Page 4
22 July 2025

ससे शासन को नुकसान होगा। - लाल उम्मेद सिंह, एसएसपी रायपुर

शराब घोटाले के आरोपी नीतेश की पत्नी, बेटा को पॉक्सो कोर्ट में पेश होने का आदेश

हरिभूमि न्यूज ▶▶ रायपुर

शराब घोटाला के आरोप में जेल में बंद नीतेश पुरोहित की पत्नी तथा बेटे को पॉक्सो कोर्ट ने पांच साल पुराने एक मामले में 30 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। मामला में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ तथा धमकाने का आरोप है। घटना वर्ष 2020 की है। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करने पर नाबालिग की मां ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था।

- पांच साल पुराने मामले में कोर्ट ने जारी किया आदेश
- नाबालिग के साथ छेड़छाड़, धमकाने का मामला

कोर्ट ने यश पुरोहित तथा उसकी मां योगेश्वरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया है। नाबालिग की मां के आरोपों के मुताबिक वर्ष 2020 में उसकी बेटी स्कूल से लौट रही थी। इस दौरान रास्ते में यश ने उसकी बेटी का रास्ता रोक कर अश्लील टिप्पणी के साथ इशारे किया। डरी सहमी बच्ची ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी अपनी मां को दी। इसके कुछ देर बाद यश तथा उसकी मां नाबालिग के घर पहुंच गए और जोर-जोर से दरवाजा पीटने लगे। घबराई नाबालिग की मां ने मदद के लिए डायल-112 तथा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया, लेकिन उन्हें दोनों जगह से मदद नहीं मिली।

इसके बाद महिला अपनी नाबालिग बेटी को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराने आजाद चौक थाना पहुंची, लेकिन पुलिस ने यश तथा उसकी मां के खिलाफ रिपोर्ट लिखने के बजाय उन्हें थाने से भगा दिया। राजनीतिक प्रभाव के कारण यश उसकी मां की शिकायत पर पुलिस ने नाबालिग तथा उसकी मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली।

सीसीटीवी फूटेज को माना कोर्ट ने आधार

पीड़िता की मां को जब पुलिस और अन्य संबंधित संस्थानों से मदद नहीं मिली, तो उन्होंने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्य और सीसीटीवी फूटेज को प्रथम दृष्टया प्रमाण मानते हुए न्यायालय ने यश पुरोहित के खिलाफ पाक्सो एक्ट, मारपीट और जान से मारने की धमकी की धारा के तहत और योगेश्वरी पुरोहित के खिलाफ भी मारपीट और जान से मारने की धमकी की धारा के तहत आरोप को अपराध सही माना और उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।